

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय सांगति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, सामुदाय केन्द्र, प्रांग विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: एन०ओ०सी०/ /2019-20 दिनांक: 17/07/2019
विषय: सेप्ट मेरीज सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, सिविल लाईन्स, मुरादाबाद को सी०सी०एस०ई० नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्या:
1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 16.08.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार
सेप्ट मेरीज सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, प्रांग लाईन्स, मुरादाबाद विद्यालय को सी०सी०एस०ई० नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के
अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम 10 प्राप्तिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- निःशुल्क एवं अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4- फीस उन्ही मर्दों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मर्दों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5- स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- संस्था द्वारा राज्य तरकार से नियंत्रित अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा पर्याप्त से मालिना प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी०सी०एस०ई० नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणीय कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 8- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Letters-2

ATTACHED COPY
Bilingual
सरकारी विद्यालय
Civil Lines
Muzaffarpur - 394001 (U.P.)

- 9- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनक पालन करेगी।
 10- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 11- राज्य सरकार एवं शीठी००एस०इ० नई दिल्ली द्वारा निर्धारित, मानकों के अनुसार भूमि भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
 12- उद्दत शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णामोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने-में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वर्ती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
 संयुक्त शिक्षा निदेशक
 एवं सदस्य सचिव
 द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृष्ठ: एन०ओ०सी० / ३५३ पृष्ठ 2 / 2019-20 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 4- प्रबन्धक, सेण्ट मेरीज स्कूल, सेकेण्ट्री स्कूल, सिविल लाईन्स, मुरादाबाद।

Am/17/19
 (अरविन्द कुमार पाण्डेय)
 संयुक्त शिक्षा निदेशक
 एवं सदस्य सचिव
 द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

ATTESTED COPY

Principal
 St. Mary's Sr. Sec. School
 Civil Lines,
 Moradabad -244001(U.P.)

Letters-2

Sr. Asafe
 ATTESTED COPY

Principal
 St. Mary's Sr. Sec. School
 Civil Lines,
 Moradabad -244001(U.P.)